राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026

Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.9(81)राज-1/2024-23506:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **जोधपुर जिले की तहसील बालेसर व शेरगढ** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार हैः-

क्र. सं	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है. में)
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है में)	जन संख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जोधपुर / बालेसर	जिनजिनयाला कलां / बालेसर	जिनजिनयाला गोविन्दा	789.3948	1154	भींवसुन्दर Bhinwsundar	71.3598	232	2	718.035
2	जोधपुर / शेरगढ	तेना / शेरगढ	तेना	2632.4541	5570	केलणसर Kelansar	152.0067	247	4	1667.2548
3						जांवतसिंह नगर Jawantsingh Nagar	240.8448	287	4	

4						**प्रेमनगर** Premnagar	64.2569	206	3	
5						**मेकमगढ** Mekamgarh	165.3026	275	3	
6						**शैतानगढ** Shaitangarh	96.3054	390	2	
7						**रावतनगर** Rawatnagar	183.4438	504	3	
8						**हेमसिंह नगर** Hemsingh Nagar	63.0391	207	4	
9		**पुंगलिया / शेरगढ**	**पुंगलिया**	1197.6486	1152	**पाबूजी नगर** Pabuji Nagar	94.5908	326	1.5	1103.0578
10		**गडा / शेरगढ**	**गडा**	1122.8555	2467	**गायडसिंहनगर गडा** Gayadsingh Nagar Gada	94.6151	213	2	1028.2404

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, जोधपुर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

नरेन्द्र गुप्ता,

विशिष्ट शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।